

# वीणा

कक्षा 5 के लिए  
हिंदी की पाठ्यपुस्तक



0531

विद्यया ऽ मृतमश्नुते



एन सी ई आर टी  
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्  
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

0531 – वीणा

कक्षा 5 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक

ISBN 978-93-5729-667-0

प्रथम संस्करण

जून 2025 ज्येष्ठ 1947

PD 800T BS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण  
परिषद्, 2025

₹ 65.00

एन.सी.ई.आर.टी. वॉटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर  
मुद्रित।

सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण  
परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110 016 द्वारा  
प्रकाशन प्रभाग में प्रकाशित तथा एस.आर.जी. ट्रेडर्स  
प्रा.लि., बी-41, सेक्टर-67, नोएडा-201 301 (उ.प्र.)  
द्वारा मुद्रित।

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटो प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रचारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशन की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

रा.शै.अ.प्र.प. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस

श्री अरविंद मार्ग

नई दिल्ली 110 016

फोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड

हेली एक्सटेंशन, होस्टेकेरे

बनाशंकरा III इस्टेज

बेंगलुरु 560 085

फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन

डाकघर नवजीवन

अहमदाबाद 380 014

फोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस

निकट : धनकल बस स्टॉप पनिहटी

कोलकाता 700 114

फोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लेक्स

मालीगाँव

गुवाहाटी 781 021

फोन : 0361-2676869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : एम.वी. श्रीनिवासन

मुख्य संपादक : बिज्ञान सुतार

मुख्य उत्पादन अधिकारी (प्रभारी) : जहान लाल

मुख्य व्यापार प्रबंधक : अमिताभ कुमार

उत्पादन अधिकारी : दीपक जैसवाल

आवरण एवं चित्रांकन

अचिन जैन

(ग्रीन ट्री डिजाइनिंग स्टूडियो प्रा.लि.)

# आमुख

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा संस्तुत शिक्षा का प्रारंभिक स्तर बच्चों के समग्र विकास के लिए और उन्हें हमारे देश की संस्कृति और संवैधानिक व्यवस्था से उद्भूत अमूल्य संस्कारों को आत्मसात करने तथा आधारभूत साक्षरता और गणितीय कौशल अर्जित करने का आधार प्रदान करता है ताकि वे अधिक चुनौतीपूर्ण मध्य स्तर के लिए पूर्णरूपेण तैयार हो सकें।

प्रारंभिक स्तर, आधारभूत और मध्य स्तरों के बीच एक सेतु का काम करता है। यह विद्यालयी शिक्षा की वह तीन वर्षीय अवधि है जिसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 सम्मिलित हैं। इस स्तर पर बच्चों को मिलने वाली शिक्षा, अनिवार्य रूप से आधारभूत स्तर के शिक्षा उपागम पर आधारित होगी। खेल-आधारित, खोज और गतिविधि प्रेरित सीखने-सिखाने की विधियाँ जारी रहेंगी लेकिन इनके साथ-साथ इस स्तर पर बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और कक्षाओं से अधिक औपचारिक रूप में परिचित कराया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को कठिन स्थिति में डालना नहीं है अपितु उनमें पठन, लेखन एवं वाचन के साथ-साथ चित्रकला और संगीत इत्यादि के माध्यम से भी समग्र अधिगम और आत्मावलोकन हेतु उनमें सभी विषयों का आधार तैयार करना है।

अतः इस स्तर पर बच्चे शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के साथ-साथ भाषाओं, गणित, आरंभिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से भी परिचित होंगे। यहाँ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चों का संज्ञानात्मक-संवेदनात्मक तथा भौतिक-प्राणिक स्तरों पर समग्र विकास हो ताकि वे सहजता से मध्य स्तर में प्रवेश कर सकें।

कक्षा 5 के लिए वर्तमान पाठ्यपुस्तक वीणा इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विकसित की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुतियों और विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 का अक्षरशः अनुपालन करते हुए यह पाठ्यपुस्तक बच्चों में अवधारणात्मक समझ, तार्किक चिंतन, रचनात्मकता, आधारभूत मूल्यों और प्रवृत्तियों के विकास पर समान बल देती है जो इस स्तर की शिक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस उद्देश्य के साथ ही समावेशन, बहुभाषिकता, जेंडर समानता और सांस्कृतिक जुड़ाव के साथ-साथ सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उचित समेकन किया गया है। साथ ही विद्यालय-आधारित समग्र मूल्यांकन जैसे विषयों से संयोजित होने वाले बिंदुओं को पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित किया गया है। इन सबके साथ भरपूर रोचक विचारों और गतिविधियों से पूर्ण यह पुस्तक निश्चित रूप से बच्चों के लिए केवल रोचक ही नहीं होगी, अपितु उनकी ज्ञानवृद्धि में भी सहायक सिद्ध होगी। बच्चे इसमें सम्मिलित सभी विचारों को आत्मसात करेंगे तथा इसमें सुझाई

गई गतिविधियों को अपने सहपाठियों और शिक्षकों के साथ मिलकर करेंगे। सहपाठियों के समूह में सीखना न केवल रोचक होता है बल्कि यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित अन्य गतिविधियाँ सीखने की प्रक्रिया को आनंदमयी और लाभप्रद बनाती हैं। इसलिए इस पाठ्यपुस्तक में दी गई गतिविधियों से सीखकर, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों, इस स्तर पर अपना अनुभव समृद्ध कर और भी बहुत-सी आनंददायक गतिविधियों को कर पाएँगे।

यहाँ यह महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पाठ्यपुस्तक का शिक्षणशास्त्रीय पक्ष समझ, मौलिकता, तर्कशक्ति और निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस स्तर पर बच्चे सहज जिज्ञासु होते हैं और उनके मन में बहुत-से प्रश्न होते हैं। इसलिए सीखने के मूल सिद्धांतों पर आधारित गतिविधियों की रूपरेखा बनाते समय बच्चों की उत्सुकता को संबोधित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। यद्यपि आधारभूत स्तर से खेल आधारित सीखने की विधियाँ जारी रहेंगी, तथापि इस स्तर पर शिक्षण-अधिगम में सम्मिलित खिलौनों और खेलों की प्रकृति थोड़ी भिन्न होगी। अब ये खेल केवल आकर्षक होने के बजाय बच्चों को सीखने की प्रक्रिया से अधिक जोड़ने में सहायक होंगे।

इसी प्रकार, इस पुस्तक से सीखना अपने आप में महत्वपूर्ण है, तथापि यह अपेक्षा भी है कि बच्चे इस विषय पर बहुत-सी अन्य पुस्तकें भी पढ़ेंगे और उनसे सीखेंगे। अतः विद्यालयों में पुस्तकालय इस हेतु अद्यतन किए जाने चाहिए। साथ ही, यह भी अपेक्षित है कि माता-पिता तथा शिक्षक बच्चों की सीखने में और अधिक सहायता करेंगे।

सीखने हेतु प्रभावी वातावरण ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि बच्चे ध्यान, उत्साह एवं जुड़ाव के साथ सीखने के लिए प्रेरित हों। उनकी जिज्ञासा तथा सृजनशीलता को विकसित करने के लिए उन्हें निरंतर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

इस विश्वास के साथ कि यह पुस्तक इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल सिद्ध होगी, मैं यह पुस्तक प्रारंभिक स्तर के सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए अनुशंसित करता हूँ। मैं इस पाठ्यपुस्तक के निर्माण में सम्मिलित समस्त लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस उत्कृष्ट प्रयास को साकार किया और आशा करता हूँ कि यह पुस्तक सभी संबंधित हितधारकों की अपेक्षाओं के अनुरूप होगी।

व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों को निरंतर परिष्कृत करने के प्रति समर्पित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् आपकी सकारात्मक टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी जो भावी संशोधनों में सहायक होंगी।

दिनेश प्रसाद सकलानी

नई दिल्ली

निदेशक

31 मई 2025

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

# पाठ्यपुस्तक के विषय में

प्रिय शिक्षक साथियो,

यह हर्ष का विषय है कि कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक *वीणा* आपके हाथ में है। इसका निर्माण करते हुए मुख्य रूप से *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखा गया है। भाषा सीखना *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023* का महत्वपूर्ण पहलू है। भाषा के सहारे बच्चे अपने परिवार, परिवेश, संस्कृति और राष्ट्र से जुड़ते हैं। बच्चों में बुनियादी एवं संवैधानिक मूल्यों की स्थापना, स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति सतर्कता, सामाजिक-भावनात्मक अधिगम आदि को प्राप्त करने का माध्यम भाषा ही है। अतः यहाँ भाषा सीखने का तात्पर्य केवल पढ़ना और लिखना नहीं है बल्कि विद्यार्थियों की जीवन-शैली में परिवर्तन होने के साथ-साथ उनमें अपेक्षित व्यवहारगत बदलाव होना भी शामिल है।

भाषा हमारी सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण घटक है। किसी समाज और व्यक्ति के आचार-व्यवहार, खान-पान, सोच-समझ, लोक-संस्कृति आदि को जानना और समझना हो तो भाषा ही सहायक सिद्ध होती है। हमारी परंपरा और संस्कृति भी प्रधानतः भाषा के माध्यम से ही संरक्षित होती आ रही है। भाषा की इस प्रकृति एवं प्रकार्यों का सापेक्ष संबंध विद्यालयी शिक्षा से जुड़ता है। आवश्यकता इस बात की है कि विद्यार्थियों को अन्वेषण, सर्जनात्मक चिंतन और तार्किक चेतना के माध्यम से स्वयं ज्ञान सृजन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। विद्यार्थी भाषा को केवल नियमबद्ध व्यवस्था के रूप में न देखें अपितु इसके सौंदर्यशास्त्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक पक्ष को भी समझें। इन बिंदुओं के आलोक में पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते हुए मुख्य रूप से निम्नलिखित विचारों को ध्यान में रखा गया है—

1. पुस्तक में कविता, कहानी, निबंध, पत्र, संवाद, नाटक, पहेली, चुटकुले व अन्य रचनाओं को रखा गया है ताकि विद्यार्थी पिछली कक्षाओं में पढ़ी गई सामग्री की शृंखला में इसे देखें और इनसे अधिक गहराई से जुड़ें। पाठ्यपुस्तक में संयोजित सामग्री रुचिपूर्ण एवं पाठ्यचर्या के लक्ष्यों व सीखने के प्रतिफलों को ध्यान में रखकर चयनित की गई है तथा पाठाभ्यासों को कुछ इस प्रकार विकसित किया गया है जिससे विद्यार्थियों में भाषा-संप्रेषण के साथ-साथ सोचने, समझने, प्रश्न पूछने संबंधी रुचि का विकास होगा।

2. पुस्तक में पाठों के माध्यम से सरल भाषा में भारतीय पौराणिक कथा परंपरा से लेकर आधुनिक और तकनीकी रूप से विकसित हो रहे भारत की छवि को प्रस्तुत किया गया है।
3. यह पुस्तक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक परिवेश के इर्द-गिर्द अपना ताना-बाना रचती है। हिंदी भाषा सीखने-सिखाने के माध्यम से विद्यार्थियों में समावेशी दृष्टिकोण लाने और भारतीय संस्कृति की विविधता के प्रति सकारात्मक बोध विकसित करने के उद्देश्य को पुस्तक द्वारा पाने का प्रयास किया गया है।
4. पुस्तक में विभिन्न भाषायी कौशलों, जैसे – समझ के साथ बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने आदि की प्रक्रिया की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों के जीवन और उनके आस-पास के परिवेश से जुड़ी बातों को आधार बनाया गया है।

### पाठ्यचर्या के लक्ष्य

प्रारंभिक स्तर (प्रिपरेटरी स्टेज) के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 (विद्यालयी शिक्षा) में भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित पाठ्यचर्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं—

**पाठ्यचर्या लक्ष्य-1:** विचारों को सुसंगत रूप से समझने और संप्रेषित करने के लिए जटिल वाक्य संरचनाओं का उपयोग करते हुए मौखिक भाषा कौशल विकसित करते हैं।

**पाठ्यचर्या लक्ष्य-2:** परिचित और अपरिचित पाठ्यवस्तु (जैसे – गद्य और पद्य) के विभिन्न रूपों की बुनियादी समझ विकसित करके अर्थबोध सहित पढ़ने की क्षमता विकसित करते हैं।

**पाठ्यचर्या लक्ष्य-3:** अपनी समझ और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए सरल और यौगिक वाक्य संरचनाओं को लिखने की क्षमता विकसित करते हैं।

**पाठ्यचर्या लक्ष्य-4:** विभिन्न स्रोतों के माध्यम से विभिन्न संदर्भों (घर और स्कूल के अनुभव) में व्यापक शब्द भंडार विकसित करते हैं।

**पाठ्यचर्या लक्ष्य-5:** पढ़ने में रुचि और प्राथमिकताओं को विकसित करते हैं।

इस पाठ्यपुस्तक के निर्माण में इन लक्ष्यों की प्राप्ति भी एक प्रमुख उद्देश्य है। पाठ्यचर्या के लक्ष्यों को ही ध्यान में रखते हुए दक्षताएँ निर्धारित की गई हैं और इन्हीं दक्षताओं की निरंतरता में सीखने के प्रतिफल तय किए गए हैं। यह पाठ्यपुस्तक निर्धारित लक्ष्यों, दक्षताओं एवं सीखने के प्रतिफलों के समन्वित रूप को प्रतिबिंबित करती है।

### पाठ्यपुस्तक में पाठ्यसामग्री का संयोजन

पुस्तक का आरंभ 'किरन' कविता से किया गया है। यह कविता सूर्य की किरणों के बारे में रोचक, सरल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। 'सुंदरिया' (कहानी) में मानवीय भावनाओं को प्रस्तुत किया

गया है। सुंदरिया, हीरासिंह के परिवार के लिए केवल एक पशु नहीं है बल्कि पारिवारिक सदस्य की तरह है। 'न्याय' (नाटक) में हंस को बचाने का करुणामय व्यवहार सिद्धार्थ द्वारा किया गया है। ये दोनों रचनाएँ विद्यार्थियों को अपने परिवेश में अन्य प्राणियों को करुणा की दृष्टि से देखने और व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगी। पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित 'न्याय की कुर्सी' तथा 'तीन मछलियाँ' कहानियाँ भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रतिनिधित्व करने के साथ-साथ व्यक्तित्व में विवेक, सत्यनिष्ठा और विनम्रता जैसे मानवीय गुणों की प्रेरणा देती हैं। हमारे देश में पंचतंत्र, जातक कथाएँ, हितोपदेश, सिंहासन बत्तीसी की कहानियाँ ज्ञानवर्धक, लोकप्रिय होने के साथ-साथ मूल्यों के संवर्धन के लिए उपयुक्त मानी जाती रही हैं।

भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता तथा वैज्ञानिक प्रगति आधुनिक भारत की एक महत्वपूर्ण पहचान है। अतः पुस्तक में इन विशेषताओं को उद्घाटित करने वाले विभिन्न साहित्यिक विधा वाले पाठ लिए गए हैं। 'साइकेन' (निबंध), 'हमारे ये कलामंदिर' (निबंध), 'काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा' (पत्र), 'गंगा की कहानी' (आत्मकथात्मक निबंध) और 'गगनयान' (विज्ञानकथा संवाद) पाठ विद्यार्थियों में भारतीय भौगोलिक परिवेश और वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति को जानने एवं भारतीयता को आत्मसात करने में सहायक होंगे।

बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। उनकी दिनचर्या में आनंद और हास्य सहजता से शामिल होते हैं। 'चाँद का कुरता' (कविता), 'चतुर चित्रकार' (कविता), 'पेड़ का जादू' (लघुकथा), 'दो मेंढकों की यात्रा' (जापानी लोककथा) तथा 'मेरा बचपन' (संस्मरण) रचनाएँ विद्यार्थियों को हँसाने-गुदगुदाने का माध्यम बनेंगी और उन्हें खेल-भावना के लिए भी उत्प्रेरित करेंगी।

सारांशतः कहा जा सकता है कि प्रस्तुत पुस्तक, विद्यार्थियों में शब्द पहचान से लेकर पढ़ने, समझने, लिखने, वैज्ञानिक एवं तार्किक चिंतन विकसित करने, रचनात्मकता एवं कल्पनाशीलता को पोषित करने जैसी प्रवृत्तियों को पुष्पित-पल्लवित करने का अवसर प्रदान करेगी। समग्र रूप से इस पाठ्यपुस्तक में हमारी परंपरा और संस्कृति से 'गगनयान' तक की यात्रा को भाषा और साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

### मौखिक भाषा का विकास और लिखना

पाठ्यपुस्तक में विद्यार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने की दृष्टि से अभ्यास निर्मित किए गए हैं। हर पाठ की समाप्ति के बाद 'बातचीत के लिए' शीर्षक से कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी भाग ले सकता है और अपना अनुभव साझा कर सकता है। उदाहरण के लिए 'किरन' कविता में बातचीत के लिए दिए गए प्रश्नों में एक प्रश्न है — "आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है?" एक अन्य उदाहरण 'चाँद का कुरता' कविता से है — "जब आप अपने अभिभावक के साथ कपड़े खरीदने जाते हैं, तब किन बातों का ध्यान रखते हैं?" इस प्रकार के प्रश्न प्रत्येक विद्यार्थी के लिए हैं। ऐसे प्रश्न सभी विद्यार्थियों को अपने-अपने अनुभवों के आधार पर अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करते हैं। मातृभाषा एवं

बहुभाषिकता की भावना को पोषित करने की दृष्टि से भी ये प्रश्न उपयुक्त हैं। मौखिक भाषा के विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम, विद्यार्थियों को बिना किसी अवरोध के बोलने के अवसर प्रदान करना है।

पाठों के अभ्यास में विद्यार्थियों के लिए छोटे-छोटे वाक्य-निर्माण की गतिविधियाँ भी दी गई हैं। शब्द से वाक्य की ओर ले जाने से संबंधित गतिविधियों में यह ध्यान रखा गया है कि ये कठिन न हों। विद्यार्थी सरलता और आनंद के साथ इन अभ्यासों को करें। उदाहरण के लिए, 'हमारे ये कलामंदिर' पाठ में विद्यार्थियों को धन्यवाद कार्ड लिखने की तथा 'न्याय' नाटक में सपने में सिद्धार्थ और हंस की बातचीत की रुचिकर गतिविधियाँ दी गई हैं। अतः पाठ्यपुस्तक में, बोलने से लिखित भाषा की ओर विद्यार्थियों की भाषा-यात्रा सुगम और सरल हो, इसका ध्यान रखा गया है।

### कल्पना, जिज्ञासा और रचनात्मकता

पढ़ने-पढ़ाने की प्रक्रिया में कल्पना विशेष स्थान रखती है। विद्यार्थी इस उम्र में कल्पना करने में पर्याप्त सक्रिय होते हैं। वे अपनी दिनचर्या में ढेरों कल्पनाएँ करते हैं या फिर कुछ न कुछ सोचने और करने के प्रयोग करते रहते हैं। कुछ पाठों के अभ्यास में ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जिससे विद्यार्थियों की कल्पना की दुनिया में विस्तार हो। ऐसे प्रश्न विद्यार्थियों पर सही अथवा गलत उत्तर का दबाव नहीं डालते। उदाहरण के लिए, 'न्याय की कुर्सी' पाठ के अभ्यास में एक प्रश्न है — “आपमें कौन-कौन सी विशेषताएँ होनी चाहिए जिससे आप कहानी के सिंहासन पर बैठ सकें?” इसी प्रकार 'चतुर चित्रकार' कविता में प्रश्न दिया गया है — “कल्पना कीजिए कि चित्रकार ने जंगल में एक चित्रकला विद्यालय खोला है। आप इस विद्यालय का कोई नाम सुझाएँ और इसके बारे में कुछ वाक्य अपनी लेखन-पुस्तिका में लिखिए।”

जिज्ञासा और खोजबीन करना बच्चों की मूल प्रवृत्तियों में से एक है। इसे ध्यान में रखते हुए संबंधित गतिविधियों को पाठों में शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए 'काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा' पत्र के अभ्यास के एक प्रश्न में विद्यार्थियों को पक्षी अभयारण्य, उसकी स्थापना की आवश्यकता के कारण तथा भारत के प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्यों के बारे में खोजबीन करने और पुस्तकालय की सहायता लेने वाली गतिविधियाँ रखी गई हैं। इसी पाठ के एक अन्य अभ्यास में भारत के मानचित्र में विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों को दर्शाकर प्रश्न पूछे गए हैं। विद्यार्थी इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए इन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। इस प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों में खोजबीन करने की प्रवृत्ति को बढ़ाएँगे।

रचनात्मकता, मन की बात करने तथा रचने और लिखने का अवसर प्रदान करती है। पुस्तक में सृजनात्मकता और विद्यार्थी के बीच के संबंध को जोड़ने और प्रक्रिया को बनाए रखने हेतु ऐसी बहुत-सी गतिविधियाँ दी गई हैं जो रोचक हैं। उदाहरण के लिए 'न्याय' नाटक के अभ्यास में कागज का पक्षी बनाने की गतिविधि दी गई है। 'साडकेन' पाठ में पत्तियों द्वारा अपने मनपसंद प्राणी की आकृति तथा 'काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा' पाठ के अभ्यास में बादलों में पशुओं की आकृतियाँ बनाने की गतिविधियाँ दी

गई हैं। ऐसी गतिविधियाँ विद्यार्थियों की रचनात्मकता तथा सृजनात्मकता को उभारने का कार्य करेंगी। विद्यार्थियों का पुस्तक से जुड़ाव स्थापित करने में ये रचनात्मक गतिविधियाँ सहायक सिद्ध होंगी। इस पुस्तक में रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए भी स्थान रखा गया है। 'खट्टे हैं अंगूर' शीर्षक के माध्यम से चित्र आधारित अभिव्यक्ति रखी गई है। पुस्तक का समापन भी चित्र आधारित अभिव्यक्ति के माध्यम द्वारा किया गया है।

### परिवेश, संवेदनशीलता एवं समेकन

पाठ्यसामग्री का संयोजन करते हुए ध्यान रखा गया है कि विद्यार्थी इन सामग्रियों से जुड़कर अपने परिवेश के प्रति और भी संवेदनशील बनें। पाठों व अभ्यासों में पर्यावरण और विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने वाली विभिन्न गतिविधियाँ दी गई हैं। उदाहरण के लिए 'चाँद का कुरता' कविता में 'सोचिए, समझिए और बताइए' शीर्षक में दिया गया प्रश्न है — "मान लीजिए चाँद का एक मित्र है जो देख नहीं सकता। चाँद उसे अपने बदलते हुए आकार के बारे में कैसे समझाएगा?" इसी प्रकार के अन्य संवेदनशील प्रश्न भी पाठों में हैं। महिलाओं और पुरुषों की सार्थक और संतुलित भागीदारी से समाज और राष्ट्र निर्मित होता है। अतः पाठ्यपुस्तक में जेंडर संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पाठों और चित्रों में संतुलित दृष्टि अपनाई गई है। इसके अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक में भारतीय परंपरा एवं संस्कृति, विभिन्न अनुशासनों तथा कलाओं का पाठ्यसामग्री के साथ-साथ उपयुक्त शिक्षाशास्त्रीय दृष्टि से समेकन भी किया गया है।

### बहुभाषिकता और कक्षा-शिक्षण

बहुभाषिकता भारत की सामासिक संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा है। शिक्षण-अधिगम के क्षेत्र में बहुभाषिकता का उपयोग अलग-अलग तरीके से किया जाता है। दैनिक जीवन में मौजूद बहुभाषिकता के साथ-साथ पाठ्यसामग्री का भी बहुभाषिक होना आवश्यक होता है। विशेष रूप से छोटे विद्यार्थियों के लिए जब वे अपनी मातृभाषा से होते हुए हिंदी की समझ विकसित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस पाठ्यपुस्तक में ऐसी गतिविधियाँ भी दी गई हैं जिसमें विद्यार्थी हिंदी के शब्दों के लिए अपनी-अपनी मातृभाषा में शब्द ढूँढ़ेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है — कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा बहुभाषिक शिक्षण पद्धति का उपयोग करना। अतः शिक्षकों से अनुरोध है कि वे पाठों को पढ़ाते हुए विद्यार्थियों को अपनी भाषा, परिवेश और संस्कृति से जोड़ते हुए शिक्षण कार्य करें। सहायता के लिए स्थान-स्थान पर शिक्षण-संकेतों की भी व्यवस्था की गई है।

अंत में यह कि पाठ्यपुस्तक शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का आधार है, एकमात्र साधन नहीं। एक रचनात्मक एवं प्रतिबद्ध शिक्षक को निरंतर नवीन पाठ्यसामग्रियों का सहारा लेना ही पड़ता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ शिक्षकों को अपने-अपने विद्यार्थियों का स्तर देखते हुए स्वयं ही तय करना पड़ता है कि

उन्हें किस प्रकार की गतिविधियाँ और पाठ्यसामग्री उपलब्ध कराई जाए। उद्देश्य तो अंततः अपेक्षित भाषायी कौशलों एवं दक्षताओं का विकास ही है।

हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे शिक्षक इस पाठ्यपुस्तक का निर्धारित उद्देश्यों और निर्देशों के अनुसार रचनात्मक उपयोग करेंगे जिससे शिक्षण-अधिगम प्रभावी होगा और विद्यार्थी आनंद के साथ भाषा सीखेंगे।

नीलकंठ कुमार  
सहायक प्रोफेसर (हिंदी)  
भाषा शिक्षा विभाग  
रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

© NCERT  
not to be republished

# राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं शिक्षण-अधिगम सामग्री समिति (एन.एस.टी.सी.)

महेश चंद्र पंत, कुलाधिपति, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (अध्यक्ष)

मञ्जुल भार्गव, प्रोफेसर, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी (सह-अध्यक्ष)

सुधा मूर्ति, प्रतिष्ठित लेखिका एवं शिक्षाविद

बिबेक देबरॉय, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् (ई.ए.सी.-पी.एम.)

शेखर मांडे, पूर्व महानिदेशक, सी.एस.आई.आर. एवं प्रतिष्ठित प्रोफेसर, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे

सुजाता रामदोरई, प्रोफेसर, ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, कनाडा

शंकर महादेवन, संगीत विशेषज्ञ, मुंबई

यू. विमल कुमार, निदेशक, प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन अकादमी, बेंगलुरु

मिशेल डैनिनो, विज़िटिंग प्रोफेसर, आई.आई.टी. गांधीनगर

सुरीना राजन, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त), हरियाणा एवं पूर्व महानिदेशक, एच.आई.पी.ए.

चमू कृष्ण शास्त्री, अध्यक्ष, भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय

संजीव सान्याल, सदस्य, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् (ई.ए.सी.-पी.एम.)

एम.डी. श्रीनिवास, अध्यक्ष, सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज़, चेन्नई

गजानन लोंढे, हेड, प्रोग्राम ऑफिस, एन.एस.टी.सी.

रेबिन छेत्री, निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी., सिक्किम

प्रत्यूष कुमार मंडल, प्रोफेसर, सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

दिनेश कुमार, प्रोफेसर, योजना एवं अनुवीक्षण प्रभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

कीर्ति कपूर, प्रोफेसर, भाषा शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

रंजना अरोड़ा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, पाठ्यचर्या अध्ययन एवं विकास विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली  
(सदस्य-सचिव)

# भारत का संविधान

## उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक <sup>1</sup>[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,  
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म  
और उपासना की स्वतंत्रता,  
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,  
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और <sup>2</sup>[राष्ट्र की एकता  
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता  
बढ़ाने के लिए

दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख  
26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को  
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

# पाठ्यपुस्तक निर्माण समूह

चमन लाल गुप्त, प्रोफेसर एवं पूर्व अध्यक्ष, हिंदी विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश (अध्यक्ष)

अक्षय कुमार दीक्षित, मेंटोर अध्यापक (हिंदी), आचार्य तुलसी सर्वोदय बाल विद्यालय, छतरपुर, नई दिल्ली

कविता बिष्ट, मुख्य अध्यापिका, केंद्रीय विद्यालय, रा.शै.अ.प्र.प., परिसर, नई दिल्ली

निशा जैन, प्रवक्ता (हिंदी), राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शकरपुर, दिल्ली

वंदना शर्मा, सहायक प्रोफेसर, भाषा शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

विजय कुमार चावला, पी.जी.टी. (हिंदी), आरोही आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ग्योंग, कैथल, हरियाणा

शारदा कुमारी, प्रधानाचार्या (सेवानिवृत्त), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, आर.के.पुरम, नई दिल्ली

सय्यद मतीन अहमद, प्रोफेसर, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, तेलंगाना

साकेत बहुगुणा, सहायक प्रोफेसर, केंद्रीय हिंदी संस्थान, दिल्ली केंद्र, नई दिल्ली एवं मानद सदस्य, कार्यक्रम कार्यालय, एन.एस.टी.सी.

सुमन कुमार सिंह, प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, कौड़िया बसंती, भगवानपुर हाट, सिवान, बिहार

नीलकंठ कुमार, सहायक प्रोफेसर (हिंदी), भाषा शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली (सदस्य समन्वयक)

## समीक्षक

गोविंद प्रसाद शर्मा, पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली एवं सदस्य, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर्यवेक्षण समिति (एन.ओ.सी.)

मीरा भार्गव, प्रोफेसर एमेरिटस, हॉफस्ट्रा विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क, यू.एस.ए.

# भारत का संविधान

भाग-3 (अनुच्छेद 12-35)

(अनिवार्य शर्तों, कुछ अपवादों और युक्तियुक्त निर्बंधन के अधीन)

द्वारा प्रदत्त

## मूल अधिकार

### समता का अधिकार

- विधि के समक्ष एवं विधियों के समान संरक्षण;
- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर;
- लोक नियोजन के विषय में;
- अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत।

### स्वातंत्र्य-अधिकार

- अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति का स्वातंत्र्य;
- अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण;
- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण;
- छः से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा;
- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।

### शोषण के विरुद्ध अधिकार

- मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध;
- परिसंकटमय कार्यों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।

### धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

- अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता;
- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता;
- किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता;
- राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता।

### संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

- अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति विषयक हितों का संरक्षण;
- अल्पसंख्यक-वर्गों द्वारा अपनी शिक्षा संस्थाओं का स्थापन और प्रशासन।

### सांविधानिक उपचारों का अधिकार

- उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देश या आदेश या रिट द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने का उपचार।



## आभार

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर्यवेक्षण समिति (एन.ओ.सी.) के अध्यक्ष एवं सदस्यों के प्रति इस पाठ्यपुस्तक में एन.सी.एफ.एस.ई. के परिप्रेक्ष्यों के समावेशन हेतु मार्गदर्शन एवं योगदान के लिए आभार व्यक्त करती है। परिषद्, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं शिक्षण-अधिगम सामग्री समिति (एन.एस.टी.सी.) के अध्यक्ष, सह-अध्यक्ष एवं सदस्यों के प्रति उनके निरंतर मार्गदर्शन और पाठ्यपुस्तक की गहन समीक्षा के लिए आभारी है। परिषद्, पाठ्यचर्या क्षेत्र समूह (सी.ए.जी.) के हिंदी उपसमूह तथा अन्य संबंधित पाठ्यचर्या क्षेत्र समूहों के अध्यक्षों एवं सदस्यों का भी उनके अंतरानुशासनात्मक मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती है।

परिषद्, अमरेंद्र प्रसाद बेहेरा, प्रोफेसर, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रत्यूष कुमार मंडल, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग; रंजना अरोड़ा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, पाठ्यचर्या अध्ययन एवं विकास विभाग; सुनीता फारक्या, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग; सुनीति सनवाल, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, प्रारंभिक शिक्षा विभाग; इंद्राणी भादुड़ी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, शैक्षिक सर्वेक्षण प्रभाग; विनय सिंह, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग; मिली रॉय, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, जेंडर अध्ययन विभाग; ज्योत्स्ना तिवारी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, कला एवं सौंदर्यबोध शिक्षा विभाग के साथ ही उनके पूरे समूह का एवं यदुनाथ देशपांडे, वरिष्ठ परामर्शदाता, कार्यक्रम कार्यालय, एन.एस.टी.सी. का पाठ्यपुस्तक में अंतरानुशासनिक विषयों के निर्बाध समेकन और अन्य पाठ्यचर्या क्षेत्रों से उनके संबंध को सुनिश्चित करने के सूक्ष्म प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त करती है।

इस पुस्तक में रचनाओं को सम्मिलित करने की स्वीकृति देने के लिए परिषद् सभी रचनाकारों, उनके परिजनों एवं प्रकाशकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है। परिषद्, रचनाओं के प्रकाशनार्थ अनुमति देने के लिए निरंकार देव 'सेवक' (किरन); विनोद कुमार शुक्ल (पेड़ का जादू); लीलावती भागवत (न्याय की कुर्सी, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली); जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी, मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद् (मध्यप्रदेश की जनपदीय पहेलियाँ); रामधारी सिंह

‘दिनकर’ (चाँद का कुरता); अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ (जागो प्यारे); भवानी प्रसाद मिश्र, (होली आई, होली आई); जैनेंद्र कुमार (सुंदरिया); रामनरेश त्रिपाठी (चतुर चित्रकार); श्याम दुआ सं. (दो मेंढकों की यात्रा, टिनी टॉट पब्लिकेशंस); प्रेमचंद (मेरा बचपन, रत्न सागर प्रकाशन); अरूप कुमार दत्ता (काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा, रत्न सागर प्रकाशन); प्रदीप कुमार जैन (धूमो-देखो); विष्णु प्रभाकर (न्याय); महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद् (दिमाग चलाओ, बाल भारती, हिंदी 5); एकलव्य प्रकाशन (तुम भी बनाओ कबूतर, चकमक पत्रिका); मालती देवी (तीन मछलियाँ); नीलकंठ कुमार, ज्योति एवं रश्मि (गगनयान) के प्रति आभारी है।

परिषद्, विविध कार्यशालाओं हेतु प्रशासनिक सहयोग के लिए सुशीला जरोदिया, सहायक कार्यक्रम समन्वयक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के प्रति आभारी है। साथ ही परिषद्, एस.वी. शर्मा प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर के प्रति उनके सार्थक सहयोग तथा रामनिवास, एसोसिएट प्रोफेसर, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर द्वारा स्थानीय अकादमिक एवं प्रशासनिक सहयोग हेतु आभार व्यक्त करती है। अकादमिक सहयोग हेतु परिषद् यास्मीन अशरफ़, सहायक प्रोफेसर, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान का आभार व्यक्त करती है।

परिषद्, सुधा मिश्रा, परामर्शदाता एवं साक्षरता विशेषज्ञ, पी.एम.यू. राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल, टीना कुमारी, सहायक प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय (मुक्त शिक्षा), मोनू सिंह गुर्जर, सहायक प्रोफेसर, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, ज्योति, वरिष्ठ शोध सहायक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, रश्मि रानी, कनिष्ठ परियोजना अध्येता, प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं संदीप कुमार, प्रूफ रीडर (हिंदी, संविदा) का इस पाठ्यपुस्तक में विशेष अकादमिक योगदान के लिए आभार व्यक्त करती है। परिषद्, हिंदी प्रकोष्ठ, भाषा शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली के प्रति भी प्रशासनिक एवं अकादमिक सहयोग हेतु आभार प्रकट करती है।

परिषद्, विशेष रूप से अचिन जैन (ग्रीन ट्री डिजाइनिंग स्टूडियो प्रा.लि., नई दिल्ली) का आभार प्रकट करती है जिनके अथक परिश्रम से यह पाठ्यपुस्तक इस रूप में आ सकी है।

परिषद्, इस पुस्तक को अंतिम रूप देने के लिए प्रकाशन प्रभाग के अतुल मिश्रा, संपादक (संविदा); अंजू शर्मा, संपादन सहायक; तथा पवन कुमार बरियार, इंचार्ज, डी.टी.पी. प्रकोष्ठ, मोहन सिंह, विवेक मंडल एवं अनिता कुमारी, डी.टी.पी. ऑपरेटर (संविदा) के प्रयासों की सराहना करती है।

संभव है कि आभार व्यक्त करने में किसी व्यक्ति अथवा प्रकाशन का नाम सम्मिलित न हो पाया हो। भविष्य में सुधार के लिए हमें उनकी ओर से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी।

# कहाँ क्या है?

आमुख

iii

पाठ्यपुस्तक के विषय में

v

1. किरन 1
- पेड़ का जादू 7
2. न्याय की कुर्सी 8
3. चाँद का कुरता 22
- जागो प्यारे 32




4.	साङ्केन	33
	होली आई, होली आई	44
5.	सुंदरिया	46
	हाथी और चींटी	59
6.	चतुर चित्रकार	61
	दो मेंढकों की यात्रा	72



7.	मेरा बचपन	75
8.	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा	85
	घूमो-देखो	97
9.	न्याय	99





- |                       |     |
|-----------------------|-----|
| 10. तीन मछलियाँ       | 117 |
| 11. हमारे ये कलामंदिर | 129 |
| 12. गंगा की कहानी     | 143 |
| गगनयान                | 153 |

## भारत का संविधान

### भाग 4क

## नागरिकों के मूल कर्तव्य

### अनुच्छेद 51 क

**मूल कर्तव्य** - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

- (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
- (ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;
- (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
- (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;
- (च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
- (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
- (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके; और
- (ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।